SHRI KAMAL NATH: Sir, there are two types of checks which are done, one is the pre-despatch inspection and the other is the quality audit. Quality audit is over and above the pre-despatch inspection. As the name implies, pre-despatch inspection is pre-despatch. Quality audit is carried out after the items or the products have been received by the consumers, that is, the buyer. That is done as a precautionary measure over and above, as the word implies, it is 'quality audit'. So, pre-despatch inspection is one part of it. That having been done, in about six per cent of the cases, as a matter of abundant caution, and, in cases where the stores are large or the items can be manipulated in despatch, then a quality audit is done. So, as the hon. Member asked about the quality audit, my response is regarding quality audit. But I would like to inform him that quality audit supersedes, that is, over and above, the pre-despatch inspection.

SHRI S.P.M. SYED KHAN: Sir, my second supplementary is: Do you have a system of internal audit in the department of DGSandD? And, are you subject to an audit by the CandAG? If so, what are the major audit paras raised by CAG in the last three years and what is their outcome?

SHRI KAMAL NATH: Sir, all ministries are obviously subject to the CAG audit. Now, I cannot tell him off hand what the CAG audit has been. The CAG Audit Report is placed before Parliament. What the CAG has said in terms of this, I think, is outside the scope of the question but if the hon. Member wants, I will send him a copy of the CAG Report.

Boiler Act Legislation

*403. SHRI SANJAY RAUT : Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have received any complaints from Boiler industrialists that they are facing problems due to non-essential boiler rules;

(b) if so, Government's response thereto;

(c) what is the present status of bringing out a Boiler Act Legislation in Parliament; and

(d) what are the reasons for the delay in bringing this Act?

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI KAMAL NATH) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d) The Government is considering the various suggestions received on the earlier Bill prepared by it which was introduced in Rajya Sabha in 1994. Comments of State Governments were sought on them. A revised Bill is being prepared for consideration afresh.

श्री संजय राजाराम राउत: चेयरमैन सर, इंडियन बॉयलर इंडस्ट्री के बारे में यह एक लांग पेंडिंग इश्यू है, लेकिन मंत्री जी ने सिर्फ इतना कहा है कि अमेंडेड बिल तैयार किया जा रहा है। इसके बारे में जो लेजिस्लेशन है, उसे वे कब पार्लियामेंट में रखेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन कब होगा, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया है। चूंकि यह इंडस्ट्री एक संकट की घड़ी से गुज़र रही है और हजारों मजदूरों की रोजी-रोटी इसके ऊपर निर्भर है, तो मुझे लगता है कि इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार होना चाहिए, क्योंकि बॉयलर उद्योग में आज भी एक प्रकार से इंस्पेक्टर राज चल रहा है। स्वदेशी बॉयलर इंडस्ट्री और विदेशी से जो बॉयलर इम्पोर्ट होता है, उसके बारे में भेद-भाव की नीति है। विदेशों से जो बॉयलर्स यहां आते हैं, उनके इंस्पेक्शन की यहां कोई जरूरत नहीं पड़ती है। वहां जो प्राइवेट एजेंसीज़ हैं, वे इंस्पेक्शन करती हैं, लेकिन स्वदेश में जो बॉयलर इंडस्ट्री है, वहां इंस्पेक्शन के लिए बहुत कड़े निर्बन्ध लादे गए हैं। अगर आप इंडियन बॉयलर इंडस्ट्री को प्राइवेट एजेंसीज़ से इंस्पेक्शन की सुविधा देंगे, तो मुझे लगता है कि यह इंडस्ट्री संकट से उबर सकती है क्या इसके बारे में आप सोच सकते है?

श्री सभापति: यह आपका सुझाव है, बहुत अच्छा है।

श्री कमल नाथ: सर, यह अच्छा है, इसमें जो बिल में नया संशोधन है, मैं उसे लाने का प्रयास कर रहा हूं, इसके ऊपर सब से चर्चा कर रहा हूं कई सदस्यों ने इस विषय पर मुझे पत्र भी लिखा है। मैं यह चाहता था कि राज्य सरकारों से इसके ऊपर पूरी चर्चा हो और जो भी इसमें इंटरेस्टेड ग्रुप्स हैं, उनसे चर्चा करके हम एक ऐसा बिल जाएं जो आज की तारीख में मॉडल हो। यह पहले राज्य सभा में 2000 में भी पेश हुआ था और उसके बाद आगे इसके ऊपर कंसिड्रेशन नहीं हो पाया। अब उसका महत्व तो अवश्य है। इस पर चर्चा करके मैं जल्द-से-जल्द इसे लाने का प्रयास करूंगा।

श्री संजय राजाराम राउत: सर, यह इंडियन बॉयलर का सब्जैक्ट कांस्टीट्यूशन की कांकरेंट लिस्ट में शामिल है और इंडियन बॉयलर एक्ट, 1923 का नियम भारतीय संविधान के अस्तित्व में

आने से काफी पहले का है। भारतीय संविधान में जो मूलभूत तत्व हैं, उन का उल्लंघन करने वाली बहुत सी बातें बॉयलर एक्ट में हैं। इन का फायदा उठाकर बॉयलर निदेशालय की एकाधिकारशाही बढ़ रही है। इस विसंगति को दूर करने के लिए सरकार क्या करना चाहती है?

श्री कमल नाथ: सर, यह बात सही है कि यह 1923 का बिल है। इस में 1972 में एक कमेटी बनाई गई, उस ने अपनी रिपोर्ट दी और तब यह 1994 में राज्य सभा में इंट्रोड्यूस हुआ। उस के बाद 2000 में स्टेंडिंग कमेटी में गया और वहां विचार किया गया। उस के बाद 2000 में राज्य सभा में आया, लेकिन कंसीडरेशन की लिस्ट पर नहीं आ पाया। अभी मैंने पिछले साल कुछ महीने पहले सोचा कि अब इस पर फिर से लाना है क्योंकि इसमें बहुत समय गुजर गया है इसलिए इस पर फिर से खास तौर से राज्य सरकारों से चर्चा करनी है क्योंकि राज्य सरकारें उस का नियम बनाती हैं और राज्य सरकार चाहती थी कि उस का inspection राज्य सरकार खुद करे, पर आज टैक्नॉलोजी में बहुत परिवर्तन हुआ है। तो इस पर उन से चर्चा कर के कि inspection कैसे होगा, यह बात हम अपनी कैबिनेट में ले जाएंगे और जब कैबिनेट का approval हो जाएगा, मैं इसे अवश्य ही संसद में जल्दी जाने का प्रयास करूंगा।

रेलगाड़ियों में बलात्कार, लूट, डकैती और अन्य आपराधिक घटनाएं

*404. **श्री अजय मारू:††**
श्री संतोष बागड़ोदिया:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान झारखंड व अन्य राज्यों में रेलगाड़ियों में बलात्कार, लूट, डकैती और अन्य आपराधिक घटनाओं की ओर गया है;

(ख) क्या इस मामले में जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए कोई निश्चित मापदंड हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) रेलगाड़ियों से यात्रा करने वाले यात्रियों की जान और माल की रक्षा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री शिवराज वी॰ पाटिल): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

---

††सभा में यह प्रश्न श्री अजय मारू द्वारा पूछा गया।